विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत सरकार,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096

****

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/ईओयू/03/एमईआइएस/2015-16/ दिनांकः 03.8.2016

सार्वजनिक सूचना संख्या 23/2016

विषयः अधिकार क्षेत्रों वाले सेज़ों से मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआइएस) तथा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआइएस) के अंतर्गत जारी होने वाले ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के पंजीकरण के मामले में अपनाई जानी वाली प्रक्रिया ।

अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सेज़ यूनिटों तथा सभी संबंधितों का ध्यान एफटीपी 2015-2020 की प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 3.08 तथा डीजीएफटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जारी दिनांक 26.8.2016 को सार्वजनिक सूचना संख्या 30/2015-20 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह अनुबंधित है कि मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम (एमईआइएस) के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप निर्यात के पोर्ट पर पंजीकृत किया जाना आवश्यक है जबकि सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसईआइएस) के अंतर्गत आवेदक द्वारा चयनित किसी भी पोर्ट, जो उसने स्क्रिप जारी किए जाने के लिए आवेदन में उल्लिखित किया हो तथा जो एसईआइएस स्क्रिप पर पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, पर स्क्रिप को पंजीकृत किया जाएगा । चूंकि अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सेज़ गैर ईडीआइ पोर्ट हैं, इसलिए इन स्क्रिपों का पंजीकरण उनमें उल्लिखित सेज़ पोर्ट पर हाथ से किया जाएगा । यदि स्क्रिपधारी स्क्रिप के आयात के लिए प्रयोग करने की इच्छा रखता हो तो संबंधित सेज़ पोर्ट के विनिर्दिष्ट अधिकारी के कार्यालय से टेलिग्राफिक रिलिज़ एडवाइज़ (टीआरए) जारी किया जाएगा ।

प्रत्येक सेज़ में संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी के अधीन स्क्रिपों के पंजीकरण तथा टीआरए से संबंधित कार्यों के लिए एक स्क्रिप अनुभाग होगा । हाथ से ड्यूटि क्रेडिट स्क्रिप रजिस्ट्रेशन तथा अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले टीआरए जारी किए जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

(क) स्क्रिपों का पंजीकरण

1. स्क्रिपधारी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ओरीजनल स्क्रिप (सीमाशुल्क प्रयोजन के लिए) जिसमें संलग्नक तथा उनकी फोटो कापियां भी सम्मिलित होंगी, के साथ स्क्रिप के पंजीकरण के लिए सेज़ पोर्ट के विनिर्दिष्ट अधिकारी को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करेगा । उक्त अनुरोध पत्र स्वीकार करते समय स्क्रिपधारी की पहचान तथा उसकी वास्तविकता की पुष्टि की जाएगी ।
2. पंजीकरण के लिए प्राप्त किए जाने वाले प्रत्येक स्क्रिप के सामने चालू फाइल का नंबर देने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा तथा पंजीकरण के लिए स्क्रिप पर अलग-अलग फाइल पर कार्रवाई की जाएगी । स्क्रिप पर पंजीकरण किए जाने के पश्चात स्क्रिप की एक फोटोकापी तथा इसके संबंधित दस्तावेज संरक्षित अभिरक्षा तथा आगे के संदर्भ के लिए संबंधित फाइल में रखी जाएगी ।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्क्रिप अनुभाग इसकी जांच करेगा कि दस्तावेज पूर्ण हैं तथा स्क्रिपधारी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को इसकी पावती देगा तथा आवेदन पर प्राप्ति की तारीख पृष्ठांकित करेगा । यदि दस्तावेज पूरे नहीं पाए जाते हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी मेमो जो जारी करने के लिए उसी दिन व.प्रा.अ. को फाइल प्रस्तुत करेगा ।

4. स्क्रिप पंजीकृत किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं स्क्रिपधारी राजस्व विभाग अथवा डीजीएफटी के अलर्ट अथवा एडवर्स नोटिस की सूची में तो नहीं है । इस प्रयोजन के लिए स्क्रिपधारी को यह वचनबंध देना होगा कि उसके यूनिट का नाम राजस्व विभाग अथवा डीजीएफटी की एडवर्स सूची में नहीं है । तथापि, यदि स्क्रिपधारी के विरूद्ध अलर्ट अथवा एडवर्स नोटिस प्राप्त किया जाता है, तो इस मामले की जांच की जाएगी तथा समुचित निर्णय लिया जाएगा ।

5. वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी, स्क्रिप अनुभाग डीजीएफटी वेबसाइट से सत्यापन प्रतिलिपि डाउनलोड करके स्क्रिप की वास्तविकता की पुष्टि करेगा । यदि यह उपलब्ध न हो, तो स्क्रिप जारी करने वाले क्षेत्रीय प्राधिकारी अर्थात विकास आयुक्त कार्यालय, सीप्ज़-सेज़ से फैक्स अथवा ई-मेल के जरिए कार्यालय से स्क्रिप की वास्तविकता का सत्यापन कराएगा ।

6. डीजीएफटी अथवा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से स्क्रिप की वास्तविकता की पुष्टि कराए जाने के पश्चात स्क्रिप का हाथ से पंजीकरण किया जाएगा । इसके लिए अलग से एक रजिस्टर रखा जाएगा तथा उक्त रजिस्टर में प्राधिकृत अधिकारी, स्क्रिप अनुभाग, स्क्रिप का विवरण जैसे स्क्रिप (लाइसेन्स) नं. तथा तारीख एमईआइएस आवेदन फाइल नं., अधिसूचना संख्या, स्क्रिपधारी का नाम, स्क्रिपधारी का आइईसी नं., ड्यूटी क्रेडिट राशि एफओबी मूल्य, स्क्रिप वैधता आदि की प्रविष्टियां की जाएंगी । तत्पश्चात, उस स्क्रिप को पंजीकरण सं. प्रदत्त किया जाएगा । पंजीकरण संख्या में तदनुरूपी क्रम संख्या, तारीख एवं पंजीकरण का वर्ष एवं उनके पहले एमईआइएस / एसईआइएस इनमें जो भी लागू हो तथा संबंधित सेज़ का पोर्ट कोड का उल्लेख किया जाएगा ।

7. हाथ से आबंटित किए गए तारीख के साथ पंजीकरण संख्या ओरिजिनल स्क्रिप तथा इसकी फोटो कापी पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी तथा वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किए जाएंगे तथा इसके पश्चात संलग्नक सहित ओरीजनल स्क्रिपधारी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को फोटो कापी पर उनसे पावती लेने के पश्चात लौटा दी जाएगी । स्क्रिप तथा एनेक्चर की फोटो कापी जिस पर पावती ली गई हैं, पंजीकरण फाइल में रखी जाएगी ।

8. स्क्रिप के पंजीकृत किए जाने के पश्चात लाइसेन्सधारी उक्त स्क्रिप के अनुसार आयातों पर शुल्क की राशि डेबिट किए जाने के प्रयोजन के लिए इस स्क्रिप का प्रयोग कर सकता है ।

9. स्क्रिप का हाथ से पंजीकृत किए जाने के अनंतर स्क्रिपधारी एमईआइएस / एसईआइएस से स्क्रिप के तहत जारी किए गए बिल ऑफ एन्ट्री स्क्रिप अनुभाग के प्रस्तुत करेगा । प्राधिकृत अधिकारी स्क्रिप के डेबिट शीट के आधार पर इस स्क्रिप पंजीकरण रजिस्टर में संगत डेबिट की प्रविष्टी करेगा । इसके पश्चात ओरिजनल स्क्रिप तथा स्क्रिप रजिस्टर के साथ बिल ऑफ एन्ट्री लेखा परीक्षा अनुभाग को भेजा जाएगा जिस पर प्राधिकृत अधिकारी संगत प्रविष्टि के सामने ओरीजनल स्क्रिप के साथ संलग्न डेबिट शीट पर पृष्ठांकण करेगा तथा स्क्रिप रजिस्टर में इसका पृष्ठांकण करेगा ।

10. यदि स्क्रिपधारी अन्य पोर्ट से आयात के लिए स्क्रिप का प्रयोग करना चाहता हो तो पंजीकरण के संबंधित सेज़ पोर्ट के विनिर्दिष्ट अधिकारी के कार्यालय द्वारा टेलीग्राफिक रिलिज़ एडवाइज़ जारी किया जाएगा ।

(क) <u>टीआरए के संबंध में प्रक्रिया</u>

क्षेत्रिय प्राधिकारी द्वारा जारी स्क्रिप पंजीकरण के पोर्ट के लिए ही विधिमान्य होगा । जब उक्त स्क्रिप के पंजीकरण के पोर्ट से भिन्न किसी स्थान पर माल आयातित किया जाता है तो पंजीकरण के

टीआरए नं. जारी करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा । टीआरए ज़ारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः-

1. स्क्रिपधारी ओरिजनल स्क्रिप किसी विशिष्ट पोर्ट कोड तथा विशिष्ट राशि के लिए टीआरए ज़ारी करने हेतु ओरिजनल स्क्रिप संलग्नक के साथ लदान बिल तथा इनवाइस के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा । यदि उक्त स्क्रिप के ट्रान्सफरी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ओरिजनल लाइसेन्सधारी तथा ट्रान्सफरी दोनों के लिए अंतरण दस्तावेज प्रस्तुत किए जाना आवश्यक है । अंतरण पत्र पर स्टेक होल्डरों के बैंक द्वारा अनुप्रमाणित हस्ताक्षर होने चाहिए ।

2. प्राधिकृत अधिकारी स्क्रिप अनुभाग, स्क्रिप पंजीकरण रजिस्टर के विवरणों के साथ उक्त स्क्रिप के विवरणों का सत्यापन करेगा । यदि यह सही या वास्तविक पाया जाता है तो वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी को फाइल प्रस्तुत करेगा । स्क्रिप तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच करेगा तथा पोर्ट कोड के साथ आयात के विशेष कस्टम्स पोर्ट के लिए रिलिज़ एडवाइज़ तैयार करेगा । विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अनुमोदन दिए जाने पर टीआरए या तो विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा अथवा वरिष्ठ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ।

टीआरए में निम्नलिखित सूचनाएं दी जानी हैं:-

i. ओरिजनल स्क्रिप होल्डर का नाम तथा पता
ii. ओरिजनल स्क्रिप होल्डर का आइईएस
iii. एमईआइएस स्क्रिप (लाइसेन्स) नं. एवं तिथि
iv. एमईआइएस आवेदन फाइल नं.
v. स्क्रिप क्रम संख्या
vi. आरए होल्डर का नाम तथा पता
vii. आरए होल्डर का आइइसी
viii. लाइसेन्स की वैधता
ix. स्क्रिप में उपलब्ध कूल ड्यूटी क्रेडिट
x. ड्यूटी क्रेडिट के लिए जारी किया गया पूर्ववर्ती टीआरए
xi. वर्तमान टीआरए में ड्यूटी मूल्य
xii. स्क्रिप में शेष ड्यूटी राशि
xiii. आयात पोर्ट
xiv. इनवाइस नं. / आयात का लदान बिल नं.

3. जब कभी टीआरए जारी किया जाएगा तो टीआरए की संबंधित ड्यूटी राशि कूल स्क्रिप राशि में से अथवा रजिस्टर में स्क्रिप ड्यूटी राशि के शेष में से डेबिट की जाएगी । विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा वरिष्ट प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से टीआरए जारी करते समय स्क्रिप पर निम्नलिखित पृष्ठांकन किया जाएगा तथा मोहर लगाई जाएगीः-

टीआरए होल्डर का नाम
टीआरए नं. तथा तारीख
टीआरए राशि
स्क्रिप में शेष ड्यूटि राशि

4. टीआरए में निम्नलिखित शर्तें निहित होंगीः-
   i. कस्टम निकासी पोर्ट द्वारा स्क्रिपधारी के विरूद्ध कोई अलर्ट है अथवा नहीं, इसका सत्यापन किया जाएगा ।
   ii. कस्टम निकासी पोर्ट द्वारा आयातित मालों के मूल्य की जांच करना तथा इसका सत्यापन करना कि यह प्रतिबंधित तथा निषिद्ध नही है ।
   iii. कस्टम निकासी पोर्ट द्वारा कस्टम नोटिफिकेशन नं.24/2015 दिनांक 8.4.2015 के अनुसार आयातों के ब्यौरों की जांच करना ।
5. आवेदन में उल्लिखित आयात पोर्ट के उप / सहायक सीमाशुल्क आयुक्त के नाम टीआरए मोहर बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा ।
6. अन्य पोर्टों से प्राप्त टीआरए मोहरबंद लिफाफे में रखे जाएंगे तथा इन्हे पंजीकृत किया जाएगा जिसके लिए एक अन्य रजिस्टर रखा जाएगा । संगत बिल ऑफ एन्ट्री के प्रस्तुत किए जाने पर उक्त टीआरए स्वीकृति के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । प्राप्त टीआरए की ड्यूटी क्रेडिट राशि के डेबिट किए जाने के मामले में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो लाइसेन्स / स्क्रिप के मामले में अपनाई जाती है । बिल ऑफ एन्ट्री के पूरा हो जाने पर टीआरए स्क्रिप अनुभाग में रखा जाएगा ।

इनके कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हों तो यह अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाए ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता हैं ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

प्रतिः-

1. अधिकार क्षेत्र वाले सभी सेज़ यूनिट
2. विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीप्ज़-सेज़, मुंबई तथा अन्य सभी अधिकार - क्षेत्र के सेज़
3. विकास आयुक्त कार्यालय
4. सूचना पट्ट
5. आइटी अनुभाग, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए